भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2232
15 मार्च, 2022 को उत्तर देने के लिए

एमएफपीआई हेतु वित्तीय पैकेज

2232. श्रीमती साजदा अहमद:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (एमएफपीआई) के लिए किसी वित्तीय पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की विपणन और ब्रांडिंग को सशक्त करके उन्हें संगठित इकाइयों में बदलने के लिए कोई कदम उठाए हैं/ उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल और बिहार में मखाना प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" को कार्यान्वित कर रहा है। मौजूदा इकाइयों के उन्नयन या व्यक्तियों के लिए नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता 35% की दर से 10.00 लाख रुपये के अधिकतम अनुदान तक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान-सहायता के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह योजना एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियों की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान-सहायता, स्व-सहायता समूहों, इनक्यूबेशन केंद्र, सामान्य अवसंरचना, विपणन और ब्रांडिंग और क्षमता निर्माण के लिए भी प्रारम्भिक पूंजी प्रदान करती है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए बजटीय प्रावधान 399 करोड़ रुपये हैं।

(ग): योजना के विपणन एवं ब्रांडिंग घटक के अंतर्गत, राज्य अथवा क्षेत्रीय स्तर पर एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों अथवा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को पात्र परियोजना लागत का 50% तक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। 4 परियोजनाएं अनुमोदित की गई है और अब तक 7 ओडीओपी ब्रांड शुरू किए गए हैं।

(घ) और (ड़): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, बिहार सहित देश में 10.00 लाख रुपये के अधिकतम अनुदान तक 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान-सहायता के माध्यम से मौजूदा इकाइयों के उन्नयन या व्यक्तियों के लिए मखाना प्रसंस्करण इकाइयों सहित नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियों की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान-सहायता, स्व-सहायता समूहों, इनक्यूबेशन केंद्र, सामान्य अवसंरचना, विपणन और ब्रांडिंग और क्षमता निर्माण के लिए भी प्रारम्भिक पूंजी प्रदान करती है। पश्चिम बंगाल राज्य ने अभी इस योजना में भागीदारी के बारे में निर्णय नहीं लिया है।

*****